राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (NDIS)

आपको जिस सहायता की ज़रूरत है उसे प्राप्त करना जिस जीवन को आप जीना चाहते हैं उसे जीने के लिए

विकलाँगता वाले लोगों के पास अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों के समान ही अधिकार हैं जिसमें सम्मानपूर्ण व सार्थक जीवन का अधिकार शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (NDIS) विकलांग व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत विकल्पों को समझने और उन निर्णयों को बनाने में सहायता कर सकती है जो उनकी ज़रूरतों का सबसे अच्छा समर्थन करते हैं।

NDIS क्या है?

NDIS विकलाँग लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएँ व समर्थन प्रदान करता है। इनमें अधिक स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कौशलों का विकास शामिल हो सकता है, समुदाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना, नौकरी ढूंढना और आवश्यक उपकरणों की खरीद और उनकी देखभाल शामिल हो सकते हैं।

क्या मैं एनडीआईएस के लिए योग्य हूं?

NDIS का पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को:

- ऐसी विकलांगता हो जो दूर नहीं जायेगी और जो उन्हें रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है। यह एक शारीरिक या बौद्धिक अक्षमता, साथ ही एक सीखने का विकार या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी हो सकती है।
- NDIS में प्रवेश करते समय 65 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए।
- एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी वीज़ा या संरक्षित विशेष श्रेणी वीज़ा धारक होना चाहिए।
- उस क्षेत्र में रहें जहां NDIS उपलब्ध है।

NDIS और विकलाँगता सहायता पेंशन समान नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति NDIS योजना के लिए योग्य है और उसे प्राप्त करता है तो इसे उनके स्वीकृत सेंटरलिंक विकलाँगता सहायता पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

मैं NDIS योजना का अनुरोध कैसे कर सकता हूं?

यदि आप सात से 64 वर्ष की आयु के हैं और विकलांगता के साथ रह रहे हैं:

- NDIS के बारे में अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक **1800 800 110** पर कॉल करें।
- आप NDIS वेबसाइट **ndis.gov.au/about-us/locations** पर जाकर अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थानीय क्षेत्र समन्वयक (एलएसी) एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं। एलएसी आपको अपने स्थानीय क्षेत्र में उपयुक्त सेवाओं और समर्थन खोजने में मदद करेगा। यह एकमात्र समर्थन हो सकता है जो आपको चाहिए। यदि आपको अधिक समर्थन की आवश्यकता है, तो एलएसी आपको NDIS योजना प्राप्त करने में सहायता करेगा।

यदि आपके पास अक्षमता या विकासात्मक देरी वाला शून्य और छह वर्ष की आयु के बीच कोई बच्चा है:

- सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक **1800 800 110** पर कॉल करें और अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रारंभिक बचपन की प्रारंभिक हस्तक्षेप एजेंसी से पूछें।

यदि आपको अंग्रेजी में बोलने में मदद की ज़रूरत है, तो परिवार के सदस्य, देखभाल करने वाले या मित्र से आपकी मदद करने के लिए कहें। आप **131 450** पर टेलीफ़ोन इंटरप्रटिंग सेवा को भी कॉल कर सकते हैं।

अगर आपको श्रवण या वाक् दोष है तो **1300 555 727** (बोलें और सुनें) पर कॉल करें और फिर **1800 800 110** के लिए पूछें या **1800 555 677** (टीटीवाई) पर कॉल करें और फिर **1800 800 110** के लिए पूछें।

अगर मैं NDIS योजना प्राप्त करने के लिए स्वीकृत नहीं हूं तो क्या होगा?

आपके स्थानीय क्षेत्र में एलएसी आपको अन्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद कर सकता है जो आपके अपने समुदाय में हों और NDIS के माध्यम से वित्त पोषित न हों। एक अस्वीकृत NDIS आवेदन को समझने व अपील करने के लिए वकालत समर्थन विकलांगता अधिकार वकालत सेवा **(08) 8531 9500** के माध्यम से उपलब्ध है।

NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME (NDIS)

GETTING THE HELP YOU NEED TO LIVE THE LIFE YOU WANT TO LIVE

People living with a disability have the same rights as other Australians including the right to a dignified and meaningful life. Australia's National Disability Insurance Scheme (NDIS) can assist people living with a disability to understand their individual choices and make decisions that best support their needs.

What is the NDIS?

The NDIS provides people living with a disability the services and supports they need to achieve their goals. These may include developing skills for living more independently, taking a more active role in the community, finding a job and purchasing the equipment and care they need.

Am I eligible for the NDIS?

To be eligible for the NDIS, a person must:

- Have a disability that will not go away and which prevents them from taking part in everyday activities. This can be a physical or intellectual disability, as well as a learning disorder or mental health condition.
- Be aged under 65 when they enter the NDIS.
- Be an Australian citizen or holder of a permanent visa or Protected Special Category visa.
- Live in an area where the NDIS is available.

The NDIS and disability support pension are not the same. If a person is eligible for and receives a NDIS Plan it should not affect their approved Centrelink disability support pension payments.

How can I request a NDIS Plan?

If you are aged between seven and 64 years of age, and living with a disability:

- Call **1800 800 110**, from 8am to 8pm, Monday to Friday for more information about the NDIS.
- You can also contact the Local Area Coordinator (LAC) partner office for your local area by visiting the NDIS website: **ndis.gov.au/about-us/locations**. The LAC will help you to find suitable services and supports in your local area. This might be the only support you need. If you need more support, the LAC will assist you to access a NDIS plan.

If you have a child aged between zero and six living with a disability or developmental delay:

- Call **1800 800 110**, from 8am to 8pm, Monday to Friday and ask for the Early Childhood Early Intervention agency in your local area.

If you need help speaking in English, ask a family member, carer or friend to help you. You can also call the **Telephone Interpreting Service** on **131 450**.

If you have hearing or speech loss, call 1300 555 727 (Speak and Listen) then ask for 1800 800 110, or call 1800 555 677 (TTY) then ask for 1800 800 110.

What if I am not approved to receive a NDIS Plan?

The LAC in your local area can help you to access other services, within your own community and not funded through the NDIS. Advocacy support to understand and appeal a rejected NDIS application is available through the Disability Rights Advocacy Service on (08) 8351 9500.